


**फर्द आह्वान**  
**अजदीवा प्रसाद बनाम राजानंद व अन्य**

आय: न्यायालय

केस संख्या 07/2018 प्रांतीय अहवाल निषेधाज्ञा 2018/0016

क्रम संख्या	दिनांक अज्ञात या कार्यवाही	अज्ञात विवरण एवं हेतु	अज्ञात विवरण
06/2/18		<p>वकील प्रार्थी उपरोक्त वकील प्रार्थी की अन्तरिम अहवाल निषेधाज्ञा पर एक पञ्जीय कृष्ण सुनी गई तथा पञ्जावली का अवलोकन किया गया। प्रांतीय न्यायालय में आगामी पेशी तक उभय पक्षकारणों को जारीये अन्तरिम अहवाल निषेधाज्ञा रद्द कर पाबंद किया जाव है कि वे विकसित भूमि आ.ल.नं. 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1244, कुल कितना 7 कुल रकबा 2.11 हे० वाले ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील जिला जयपुर के भौतिक स्थिति बनाये रखे। इसमें कोई आपत्ति हो तो दिनांक 12/3/18 को पेश करे। नोटिस जारी है।</p>	<p align="right">न्यायालय जयपुर</p>
12/3/18		<p>वकील प्रार्थी उपरोक्त अज्ञात तहसील नकल स्थिति पेश करे आगामी पेशी तक तहसील आवधिक रूप से पूरा हो पञ्जावली आद तहसील दिनांक 25/4/18 को पेश है।</p>	
25/4/18		<p>पञ्जावली पेश हुई। प्रार्थीगण नकल लेन व अज्ञात लेन उपरोक्त नहीं है न्यायालय समक्ष ने बार-बार-बार आगम लेन रद्द करे।</p>	

किन्तु पार्थिवी की ओर से कोई भी  
उपद्रव नहीं है अतः पार्थिवी का प्राक्क  
अदम लक्ष्मी व अदम पैरनी में स्तारिण  
किया अतः ही पार्थिवी फेलाष्ट शुभा  
हेका दम नम्मा से कम व तथा सुल  
के साथ रहे।